



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257026
CG-DL-E-10092024-257026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 18, 1946

No. 513]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 555 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 233 और 234 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम तारीख 17 सितंबर, 2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के, नियम 25क के, उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) जहां भारत के बाहर निगमित अंतरणकर्ता विदेशी कंपनी होलिंग कंपनी है और अंतरिती भारतीय कंपनी भारत में निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, विलय या समामेलन करती है,-

(i) दोनों कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा;

(ii) अंतरिती भारतीय कंपनी धारा 233 के उपबंधों का अनुपालन करेगी;

(iii) अंतरिती भारतीय कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 233 के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया जाएगा और नियम 25 के उपबंध ऐसे आवेदन पर लागू होंगे; और

(iv) उपनियम (4) में निर्दिष्ट घोषणा, अधिनियम की धारा 233 के अधीन आवेदन करने के चरण में की जाएगी।”।

[फा. सं. 2/31/सीए/2013-सीएल.V पार्ट]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1134(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि 368(अ)	13 अप्रैल, 2017
2.	सा.का.नि 79(अ)	3 फरवरी, 2020
3.	सा.का.नि 773(अ)	17 दिसंबर, 2020
4.	सा.का.नि 93(अ)	1 फरवरी, 2021
5.	सा.का.नि 401(अ)	30 मई, 2022
6.	सा.का.नि 367(अ)	15 मई, 2023

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

G.S.R. 555 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 233 and 234 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, namely :-

1.(1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the 17th day of September, 2024.

2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, in rule 25A, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(5) Where the transferor foreign company incorporated outside India being a holding company and the transferee Indian company being a wholly owned subsidiary company incorporated in India, enter into merger or amalgamation, -

(i) both the companies shall obtain the prior approval of the Reserve Bank of India;

(ii) the transferee Indian company shall comply with the provisions of section 233;

(iii) the application shall be made by the transferee Indian company to the Central Government under section 233 of the Act and provisions of rule 25 shall apply to such application; and

(iv) the declaration referred to in sub-rule (4) shall be made at the stage of making application under section 233 of the Act.”.

[F. No. 2/31/CAA/2013 – CL.V Part]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R 1134(E) dated the 14th December, 2016 and subsequently amended vide the following notifications: -

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R 368(E)	13th April, 2017
2.	G.S.R. 79(E)	3rd February, 2020
3.	G.S.R. 773(E)	17th December, 2020
4.	G.S.R. 93(E)	1st February, 2021
5.	G.S.R. 401(E)	30th May, 2022
6.	G.S.R.367(E)	15th May, 2023.